कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-23/2016-17/

दिनांक: /09/2016

सेवा में,

जिला पंचायतराज अधिकारी,

पिथौरागढ़

विषय : जिला पंचायतराज अधिकारी पिथौरागढ़ का वर्ष 11/2013 से 07/2015 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग-4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर भाग-4 (ब)-2 में 03 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर** हैं इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग 4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरो की परिपालन आख्या सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 की सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी (**निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड**) के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन का प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 23/2016-17/ **दिनांक : /09/2016**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को भाग-4 (ब)-1 के प्रस्तर संख्या 1 की एक प्रति।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये जिला पंचायत राज अधिकारी, पिथौरागढ़ पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्री के.एस. दुग्ताल - जिला पंचायत राज अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री एस. के. त्यागी, व. ले.प.अ.

(ii) श्री पी,एल, शर्मा, स.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 26.05.2016 से 04.06.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 12/2014 से 04/2016

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **जिला पंचायत राज अधिकारी, पिथौरागढ़**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत राज अधिकारी है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र : -

जनसंख्या :

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या :

3- (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- बैठक :

5- कर्मचारियों की संख्या : - 106

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या

9- (अ) सामाजिक संरक्षा : -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया- नहीं

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **जिला पंचायत राज अधिकारी, पिथौरागढ़** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 12/2014 से 04/2016 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस. के. त्यागी,व.ले.प.अ, एवं श्री पी.एल.शर्मा, स.ले.प.अ.तथा द्वारा दिनांक 26.05.2016 से 04.06.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर:-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-2 (अ)**	**प्रस्तर भाग-2 (ब)**	**STAN**
(i) प्रति. सं. 144/2014-15	शून्य	1,2	1

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग**
	प्रस्तरों की संख्या
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर	-

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची- शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख - शून्य

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 1:- धनराशि ` 6.00 लाख अवमुक्त किये जाने के एक वर्ष उपरान्त भी पंचायत भवन, क्वीरीजिमिया का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत वरष 2014-15 में निदेशक, पंचायती राज के पत्र सं. 1853/2014-15 दिंनाक 02/03/2015 द्वारा जनपद-पिथौरागढ़ के विकास खण्ड़ मुनस्यारी की ग्राम पंचायत, क्वीरीजिमिया में पंचायती भवन निर्माण हेतु ` 12 लाख की धनारशि स्वीकृत की गयी थी जिसके सापेक्ष ` 6.00 लाख की राशि जिला पंचायती राज अधिकारी को इस शर्त के साथ अवमुक्त की गयी थी कि धनराशि का प्राथमिकता के आधार पर उपभोग सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रेषित किया जाये ताकि तदनुसार अवशेष धनराशि का आंवटन किया जा सके। अवमुक्त धनराशि पंचायतीराज अधिकारी द्वारा मार्च 2015 में सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित कर दी गयी थी। सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में संज्ञान में आया कि ग्राम पंचायत क्वीरीजिमिया द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने के एक वर्ष उपरान्त भी न तो उपयोग की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया था, न ही कार्य की प्रगति आख्या विभाग को प्रेषित की गयी थी। कार्य सम्पादन हेतु अवशेष धनराशि की माँग भी ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गयी थी जिस कारण कार्य की वास्तविक स्थिति लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

कार्य की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि आवंटन के हिसाव से कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया था।

उत्तर सम्पेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि धनराशि आवंटन सम्बन्धी शासनादेश में धनराशि का प्राथमिकता के आधार पर उपभोग सुनिश्चित करते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशालय को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे ताकि तद्नुसार अवशेष धनराशि का आवंटन किया जा सके जबकि प्रथम किस्त अवमुक्त होने के एक वर्ष उपरान्त भी सम्बन्धित राशि का उपयोगता प्रमाण-पत्र निदेशालय को प्रेषित नहीं किया जा सका था।

अतः अपूर्ण निर्माण-कार्य का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 2:- ` 8.00 लाख का उपयोगिता पत्र क्षेत्र पंचायत द्वारा उपलब्ध न कराने तथा ` 2.00 लाख का अवरोधन।

इकाई द्वारा राजीव गाँधी सश्क्तीकरण अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में विकास खण्ड स्तरीय रिसोर्स सेन्टर निर्माण हेतु पत्र सं. 939 दिंनाक 21.01.2013 द्वारा खण्ड़ विकास अधिकारी, मुनस्यारी को आदेशित किया गया था। जिसके सापेक्ष क्षेत्र पंचायत मुनस्यारी द्वारा निर्माण कार्य हेतु ` 8.00 लाख का प्राकलन तैयार कर जिला पंचायतराज अधिकारी, पिथौरागढ़ को प्रेषित किया गया था। इकाई द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत को चैक सं. 511169 दिनांक 31.12.2014 द्वारा ` 5.00 लाख की धनारशि आवंटित की गई थी तथा दूसरी किस्त के रुप में चैक सं.-941459 दिंनाक 08.07.2015 ` 3.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस प्रकार विभाग द्वारा कुल ` 8.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी। परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा मई 2016 तक न तो उपयोगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया था तथा न ही कार्यपूर्ति से सम्बन्धित कोई सूचना उपलब्ध करायी गई थी जिसके कारण ` 2.00 लाख की धनराशि इकाई के पास अवरुद्ध पड़ी थी। जबकि इस सम्बन्ध में जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा बार-बार निर्देशित किया गया था। कार्य की अघतन स्थिति तथा व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख क्षेत्र पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था जिसके कारण कार्य योजना की पूर्ति में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ था। तथा कार्य योजना से प्राप्त होने वाले उद्देश्य की भी प्राप्ति नहीं हो पाई थी। इस प्रकार उक्त योजना लगभग एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के पश्चात भी अपूर्ण थी तथा ` 8.00 लाख का उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध न करने के कारण ` 2.00 लाख की धनराशि अवशेष थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि क्षेत्र पंचायत से पत्राचार किया जा रहा है तथा तकनीकी स्टाफ के व्यस्त होने के कारण कार्यपूर्ति में विलम्ब हुआ है तथा कार्यपूर्ति उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अवशेष धनराशि हस्तांतरित की जायेगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कार्यों के लम्बे समय तक अपूर्ण रहना तथा धनराशि का अवरोधन वित्तीय अनियमितता है, जिसके हेतु सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होते है। परन्तु समय सीमा का पालन न करना तथा धनराशि का अवरोधन शासकीय नियमों का उल्लंघन है।

अतः ` 8.00 लाख का अनुपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने तथा ` 2.00 लाख के अवरोधन सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 3:- आंवटित राशि से ` 87,658- का अधिक व्यय।

जिला पंचायत राज अधिकारी के पंत्राक संख्या 1883/लेखा 2015-16 दिनांक 22-02-2016 द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण हेतु राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रशिक्षण मद में ` 7,15,740 एवं ` 37100-(कुल ` 752840-) तथा पत्र सं02004/स0-02/ लेखा 2015-16 दिनांक 10-03-2016 द्वारा `5.00 लाख(कुल ` 12,52,840-) की धनराशि आंवटित की गई थी। जिसका उपयोग जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण हेतु किया जाना था। विभाग द्वारा उक्त प्रशिक्षण हेतु विभिन्न मदों भोजन,जलपान व्यवस्था, मानदेय,स्टेशनरी, फोटोग्राफ इत्यादि हेतु कुल आंवटित धनराशि के सापेक्ष `13,40,498- की धनराशि व्यय की गई थी। इस प्रकार विभाग द्वारा आंवटित धनराशि से `87,658- की अधिक धनराशि व्यय की गई थी। जब बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र में उल्लेख था कि आंवटित धनराशि से ही उक्त प्रशिक्षण का समायोजन करना होगा। अतिरिक्त धनराशि की माँग हेतु उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया जा रहा हे परन्तु देय धनराशि प्राप्त नही हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि आंवटित धनराशि अग्रिम से रुप में थी तथा अन्तिम समायोजन के पश्चात उक्त धनराशि अधिक व्यय हुई है जिसकी माँग निदेशक पंचायती राज उत्तराखण्ड से की गई है।

उत्तर संतोषजनक नही है क्योकि आंवटित धनराशि में उल्लेखित था कि सीमा के अन्दर ही धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जाए परन्तु ऐसा न करके विभाग ने ` 87658- का अनावश्यक दायित्वों का सृजन किया है। तथी विभाग के ऊपर अनावश्यक दायित्व बढ़ गए है। जोकि दिशा-निर्देशों तथा वित्तीय नियमों का ऊल्लंघन है।

अतः आंवटित राशि से ` 87,658 का अधिक व्यय करने सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **जिला पंचायतराज अधिकारी, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी.-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0